

गारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नघर न गारीख
अदालत जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

17/02/25

आज यह पत्रावली पेश हुई। तारीख
एवं उनके वकील 340 नहीं आए। 17/2-
25 को अदालत डिमांड गार्ड के वकील
कोर्ट उपस्थित नहीं आए।

अदालत द्वारा जारी कर केंद्र परी करम
दस्तावेज में जारी हुए नू खाली किया
जाया है।

पत्रावली के लिये सुमान होना नभवा ले
कम-हो। बाद तकमील जाणा दाखिल दफ्त
हो।

जे
राजेश कुमार मीणा
अधिवक्ता
मुसावर (भरतपुर)
मुसलमान